# न्यायालय :–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद, जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर (म0प्र0)
# (समक्ष– पूर्वी तिवारी)

## (निर्णय दिनाँक :–12.01.2023)

आपराधिक प्रकरण क्र.–491/2019

फाईलिंग नं.– 81/2020

सी.एन.आर.नं.–M.P.100600-0096-2020

संस्थित दिनाँक– 05.02.2020

**(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध क्रमाँक 491/2019 और पुलिस थाना सनावद, जिला खरगोन म.प्र.)**

| | |
|---|---|
| शिकायतकर्ता | मध्यप्रदेश राज्य द्वारा<br>आरक्षी केन्द्र सनावद, जिला–खरगोन |
| शासन द्वारा प्रतिनिधित्व | सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संतोष करोले |
| अभियुक्त | महेन्द्रसिंह पिता खुमानसिंह तोमर, उम्र–49 वर्ष निवासी–बाहेती कॉलोनी, सनावद, थाना एवं तहसील सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) |
| अभियुक्त द्वारा प्रतिनिधित्व | श्री गणेश मालवीय अधिवक्ता। |

**फार्म–बी**

| | |
|---|---|
| अपराध की तारीख | 17.12.2019 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख | 17.12.2019 |
| आरोप–पत्र की तारीख | 07.07.2021 |
| आरोपों के विरचना की तारीख | 07.07.2021 |
| साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख | 07.07.2021 |
| निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख | 12.01.2023 |
| निर्णय की तारीख | 12.01.2023 |
| दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख | कुछ नहीं। |

## अभियुक्त का विवरण

| अभियुक्त की श्रेणी | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी / धारा–41 द. प्र.सं. के सूचना पत्र की तारीख | जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख | अपराध जिनका आरोप है | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि | अधिरोपित दण्डादेश | धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोज्नार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | महेन्द्रसिंह पिता खुमानसिंह तोमर | 18.12.2019 | 05.02.2020 | 294, 323, 427, 506 भाग–दो भा.द.सं. | दोषमुक्ति | कुछ नहीं। | निरंक |

## प्रारूप–च

## अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| अ.सा. 1 | विवेक सेन | शिकायतकर्ता |
| अ.सा. 2 | मनोहरलाल सेन | सुन–कहो साक्षी |
| अ.सा. 3 | महेश पालेरिया | गिरफ्तारी साक्षी |

**ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| | **निरंक** | |

**ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | साक्षी) |
| **निरंक** | | |

## अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

| स. क्रं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी.1/अ.सा.1 | प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| 2 | प्रदर्श पी.2/अ.सा.1 | नक्शा–मौका |
| 3 | प्रदर्श पी.3/अ.सा.1 | नुकसानी पंचनामा |
| 4 | प्रदर्श पी.4/अ.सा.1 | फरियादी विवेक के पुलिस कथन |
| 5 | प्रदर्श पी.5/अ.सा.2 | साक्षी मनोहरलाल के पुलिस कथन |
| 6 | प्रदर्श पी.6/अ.सा.3 | गिरफ्तारी पत्रक |

## ख. प्रतिरक्षा

| स. क्रं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| **निरंक** | | |

## ग. न्यायालयीन प्रदर्श

| स. क्रं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| **निरंक** | | |

## घ. आवश्यक वस्तुएं

| सं. क्रं. | भौतिक सामग्री संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| **निरंक** | | |

## //निर्णय//

**01.** अभियुक्त महेन्द्रसिंह पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा–294, 323, 427, 506 भाग–2 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनाँक–17.12.2019 को समय 20:00 बजे, आरक्षी केन्द्र सनावद अंतर्गत त्रिकोण चोराहा, सनावद स्थित फरियादी विवेक सेन की दुकान पर, लोकस्थान के समीप फरियादी विवेक सेन को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, आहत विवेक सेन के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की, फरियादी विवेक की दुकान के कांच एवं उसकी सोने की चेन तोड़कर उसे

रिष्टी कारित की एवं फरियादी विवेक सेन को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**02.** प्रकरण में को अभियोजन साक्षीगण विवेक, मनोहरलाल की अभियुक्त महेन्द्रसिंह से जान–पहचान होना स्वीकृत तथ्य है।

**03.** अभियोजन कथा के अनुसार फरियादी समीर ने दिनाँक 17.12.2019 को थाना सनावद में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसकी त्रिकोण चौराहे पर मोबाईल की दुकान है और लगभग 12 माह पूर्व महेन्द्रसिंह ने एक जोड़ सोने की झुमकी गिरवी रख फरियादी से 15,000/– रूपये उधार लिये थे और प्रतिमाह ब्याज देने का आश्वासन भी दिया था। उक्त दिनाँक को रात्रि लगभग 08:00 बजे, महेन्द्रसिंह ने उसका गोल्ड वापस मांगने की बात पर फरियादी से झगड़ा किया और उसके साथ गाली–गलौच, मारपीट की। मारपीट में महेन्द्रसिंह ने फरियादी के गले की सोने की चेन भी तोड़ दी और उसके दुकान में भी तोड़–फोड़ की, जिससे फरियादी को काफी नुकसान हुआ। महेन्द्रसिंह ने जाते–जाते फरियादी को कहा था कि यदि उसने रकम वापस नहीं की, तो वह फरियादी को जान से मार देगा। फरियादी विवेक की मौखिक शिकायत के आधार पर थाना सनावद द्वारा अभियुक्त महेन्द्रसिंह के विरूद्ध अपराध क्रमांक 491/2019 पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी विवेक की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका निर्मित किया गया, फरियादी विवेक की दुकान पर नुकसान होने से नुकसानी पंचनामा बनाया गया, आहत विवेक का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये, अभियुक्त महेन्द्रसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक निर्मित किया गया और आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त महेन्द्रसिंह के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा–294, 323, 506, 427 का अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में दिनाँक–05.02.2020 को प्रस्तुत किया गया।

**04.** अभियुक्त महेन्द्रसिंह को अपराध विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर उसने अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण चाहा है तथा स्वयं के बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

**05.** प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैः–

**01.** क्या अभियुक्त महेन्द्रसिंह ने दिनाँक–17.12.2019 को समय 20:00 बजे, आरक्षी केन्द्र सनावद अंतर्गत त्रिकोण चोराहा, सनावद स्थित फरियादी विवेक सेन की दुकान पर, लोकस्थान के समीप फरियादी विवेक सेन को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

**02.** क्या अभियुक्त महेन्द्रसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत विवेक सेन के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**03.** क्या अभियुक्त महेन्द्रसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी विवेक की दुकान के कांच एवं उसकी सोने की चेन तोड़कर उसे रिष्टी कारित की ?

**04.** क्या अभियुक्त महेन्द्रसिंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी विवेक संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

## –:: <u>निष्कर्ष एवं विवेचना</u> ::–
## <u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 के संबंध में</u> –

**06.** उपरोक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर अनन्योनाश्रित होने के कारण, साक्ष्य की पुनरावृत्ति को निवारित करने के आशय से उनका विचारण एक साथ किया जा रहा है।

**07.** प्रकरण के आहत **विवेक (अ0सा0–1)** ने उसकी साक्ष्य में घटना 02–03 वर्ष पूर्व की होकर त्रिकोण चौराहे, सनावद की होना बताया है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि घटना के दिन उसका मामूली–सी बात को लेकर अभियुक्त से विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत उसने सनावद थाने में की थी। प्रकरण के अन्य साक्षी **मनोहरलाल (अ0सा0–2) एवं महेश (अ0सा0–3)** ने उनकी साक्ष्य में घटना के संबंध में कोई जानकारी ना बताते हुए यह व्यक्त किया है कि उनके समक्ष कोई घटना कारित नहीं हुई थी। साक्षी महेश ने उसके समक्ष पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्तारी की कार्यवाही से भी इंकार व्यक्त किया है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी साक्षी घ ोषित करने के पश्चात् भी उन्होंने घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया है और उनके द्वारा दिये गये पुलिस कथनों से भी इंकार व्यक्त किया है। अतः स्वयं फरियादी विवेक एवं अन्य साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में अभियुक्त महेन्द्रसिंह के विरूद्ध कोई कथन नहीं किये हैं, इसलिए अभियुक्त पर आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते हैं।

**08.** इस प्रकार प्रकरण के अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए, प्रकरण में अभियुक्त महेन्द्रसिंह के विरूद्ध ऐसी कोई आक्षेपित साक्ष्य विद्यमान नहीं है, जिससे परिलक्षित हो सके कि अभियुक्त महेन्द्रसिंह ने दिनाँक–17.12.2019 को समय 20:00 बजे, आरक्षी केन्द्र सनावद अंतर्गत त्रिकोण चोराहा, सनावद स्थित फरियादी विवेक सेन की दुकान पर, लोकस्थान के समीप फरियादी विवेक सेन को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, आहत विवेक सेन के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की, फरियादी विवेक की दुकान के कांच एवं उसकी सोने की चेन तोड़कर उसे रिष्टी कारित की एवं फरियादी विवेक सेन

को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

**09.** फलतः अभियोजन अपना मामला अभियुक्त महेन्द्रसिंह के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्त महेन्द्रसिंह को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–294, 427, 323, 506 भाग–दो भा. दं.सं. के दंडनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

**10.** अभियुक्त महेन्द्रसिंह के जमानत मुचलके 6 माह की अवधि पश्चात् इस शर्त के साथ भारमुक्त किये जाते हैं कि अपील होने की दशा में अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

**11.** अभियुक्त महेन्द्रसिंह अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में नहीं रहा है। इस संबंध में धारा–428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र पृथक से तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

**12.** प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित किया।

**(पूर्वी तिवारी)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सनावद, प.नि. (म.प्र.)

**(पूर्वी तिवारी)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
सनावद, प.नि. (म.प्र.)

Poorvi Tiwari

Digitally signed by Poorvi Tiwari
Date: 2023.01.14 15:07:34 +0530